

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)सं.प.अ. / 44 /2021

दिनांक 17.02.2021

डॉ. सीमा अग्रवाल (RJ1016), विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005, सीकर को दिनांक 01.03.2021 से 10.03.2021 तक 10 दिनों का संतान परवरिश अवकाश (Child Care Leave) दिनांक 27.02.2021 से 28.02.2021 एवं 11.03.2021 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

श्री सुनील कुमार बिश्रोई (RJ0537), अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, क्रम- 01, सीकर को डॉ. सीमा अग्रवाल के उक्त अवकाश अवधि के दौरान अपने पद के कार्य के साथ-साथ विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005, सीकर के पद का अतिरिक्त कार्यभार सम्पादित किये जाने हेतु एतद्वारा पदस्थापित / नियुक्त किया जाता है।

आज्ञा से,
17/2/2021

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था.बी.२(4)/04/2016/1209

दिनांक : 17.02.2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, सीकर।
3. विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005, सीकर को उनके पत्रांक 86 दिनांक 05.02.2021 के सन्दर्भ में।
4. डॉ. सीमा अग्रवाल (RJ1016), विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005, सीकर।
5. श्री सुनील कुमार बिश्रोई (RJ0537), अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, क्रम- 01, सीकर।
6. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, क्रम- 01, सीकर।
7. संबंधित कोषालय।
8. संबंधित लिपिक / स्थानान्तरण-पदस्थापन लिपिक, आर. जे. एस. (स्था.) शाखा रा.उ.न्या., जोधपुर।

सहायक रजिस्ट्रार